न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/1877/2006/उदयपुर

1. श्रीमती धापूबाई पत्नी गिरधारी जाति खटीक निवासी ग्राम सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री पी.एस. दशौरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री ओ.पी. भटट, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 20.05.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, मावली के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थी के विरूद्ध घोषणा वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी को जरिये पत्रावली

संख्या 487/1969 से दिनांक 20-08-1970 को ग्राम सनवाड स्थिति साबिक खसरा नम्बर 3350 में से 02बीघा भूमि का आवंटन हुआ, जिसका नया नम्बर 3350/1 कायम कर अपीलार्थी को पट्टा जारी किया एवं कब्जा सुपुर्द किया, तभी से अपीलार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। साबिक खसरा नम्बर 3350 के वर्तमान खसरा नम्बर 4457 कायम किये गये, जिसे राजस्व अभिलेख में सिवाय चक दर्ज कर दिया। अतः वादिया को वर्तमान खसरा नम्बर 4457 के 02बीघा 12बिस्वा का खातेदार घेाषित किया जावे, जिस पर वादिया का आवंटन के समय से कब्जा चला आ रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी प्रत्यर्थी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित दो तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-02-2003 से वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी अपीलार्थी की ओर से भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 10-01-2006 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादी अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये

जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी वादी को आवंटित हुई थी, जिस पर अपीलार्थी आवंटन उपरान्त निरन्तर काबिज काश्त है, जिसे अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपनी मौखिक एवं दस्तवेजी साक्ष्य से साबित कराया था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलार्थी के वाद को खारिज कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट से अपीलार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवंटन की प्रति प्रदर्श–ए–1 अनुसार विवादित आराजी अपीलार्थी को आवंटित होना प्रमाणित है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ना तो राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी को आवंटित भूमि के सन्दर्भ में किसी भी शर्त का उल्लघन साबित कराये बिना एवं ना ही भूमि पुर्नग्रहण किये मात्र भू–प्रबन्ध द्वारा की गयी इन्द्राज त्रुटि को आधार बताते हुए कि यदि अपीलार्थी द्वारा भूमि पर कब्जा लिया होता तो दौराने पैमाईश उसका अतिक्रमण दर्ज होता वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय द्वारा तात्विक अनियमितता कारित की है। उनका कथन है कि भू–प्रबन्ध विभाग को विवादित आराजी सिवाय चक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. योग्य उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलार्थी ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी पर आवंटन उपरान्त निरन्तर कब्जा काश्त होना प्रमाणित नहीं कराया गया

है। उनका कथन है कि आवंटन की पालना में अपीलार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया, ना ही आवंटित भूमि का कब्जा दिया जाना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र आवंटन आदेश के आधार पर अपीलार्थी का विवादित आराजी पर कोई हक व स्वत्व निहित होना नहीं माना जा सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, मावली के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थी के विरूद्ध घोषणा वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी को जरिये पत्रावली संख्या 487/1969 से दिनांक 20-08-1970 को ग्राम सनवाड स्थिति साबिक खसरा नम्बर 3350 में से 02बीघा भूमि का आवंटन हुआ, जिसका नया नम्बर 3350/1 कायम कर अपीलार्थी को पट्टा जारी किया एवं कब्जा सुपुर्द किया, तभी से अपीलार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। साबिक खसरा नम्बर 3350 के वर्तमान खसरा नम्बर 4457 कायम किये गये, जिसे राजस्व अभिलेख में सिवाय चक दर्ज कर दिया। अतः वादिया को वर्तमान खसरा नम्बर 4457 के 02बीघा 12बिस्वा का खातेदार घेाषित किया जावे, जिस पर वादिया का आवंटन के समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलार्थी ने विवादित आराजी के आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि का कब्जा नियमानुसार सुपुर्द किये जाने अथवा आवंटित

भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त होने तथा आवंटन आवंटन का अमल दरामत राजस्व अभिलेख में होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा का वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत् निर्णय से वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को भी उक्त आधार पर खारिज कर दिया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है।

८. प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 17-02-2003 एवं दिनांक 10-01-2006 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(सूरजभान जैमन)
सदस्य